


उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

(सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आई.टी.ई.एस.),
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एवं विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) प्रक्षेत्र,
खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र,
कपड़ा, पोशाक तथा चमड़ा प्रक्षेत्र)



उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

(सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आई.टी.ई.एस.), इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एवं विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) प्रक्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र, कपड़ा, पोशाक तथा चमड़ा प्रक्षेत्र)

1. भूमिका

बिहार को राज्य के तुलनात्मक लाभ तथा एक संतुलित क्षेत्रीय एवं स्थायी विकास की प्राप्ति के लिए नियोजन के अवसरों को अधिकाधिक करके अत्यधिक प्राथमिकता प्राप्त निवेश के लक्ष्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार सरकार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अधिसूचना संख्या—1822 दिनांक—01.09.2016 द्वारा घोषित कर चुकी है और साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 भी, राज्य में निवेश को सुगम करने के लिए, बनाये गए हैं।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 पिछले एक वर्ष से परिचालन में है। तथापि उनके आर्थिक तथा नियोजन सृजन के महत्व के निर्धारण के आधार पर यह महसूस किया गया है कि तीन व्यापक प्रक्षेत्रों पर परिवर्द्धित फोकस अपेक्षित है, यथा—

- (क) आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवाएं तथा ई.एस.डी.एम. प्रक्षेत्र,
- (ख) खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र तथा
- (ग) कपड़ा, पोशाक तथा चमड़ा प्रक्षेत्र।

ये प्रक्षेत्र कुशल मानवशक्ति की प्रबलकारी आवश्यकता वाले प्रक्षेत्र हैं और राज्य में विविध कृषि सामग्रियों के लिए बड़े उत्पादन की संभावना पर आधारित है। इन तीनों प्रक्षेत्रों में गतिशील निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए संशोधित किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अधीन उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों का ब्यौरा तथा प्रोत्साहन पैकेज, उच्च प्राथमिकता के लिए, निम्नवत हैं:

2. उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र

2.1 उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों, प्राथमिकता प्रक्षेत्रों तथा गैर प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के अधीन औद्योगिक इकाई की परिभाषा:

औद्योगिक इकाईयों का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जा सकता है:

कोटि	विशेषताएँ
उच्च प्राथमिकता	<p>ई.एस.डी.एम., कपड़ा एवं चमड़ा प्रक्षेत्र के लिए; ऐसी ईकाई जिसमें (i) अचल संपत्ति तथा प्लांट एवं मशीनरी (भूमि को छोड़कर) में निवेश 05 करोड़ रुपये से अधिक हो, तथा (ii) कम से कम 50 मूल कर्मी (सहायक कर्मी जैसे चालक, गार्ड इत्यादि को छोड़कर) का नियोजन हो।</p> <p>सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा प्रक्षेत्र के लिए; ऐसी ईकाई जिसमें (i) अचल संपत्ति तथा प्लांट एवं मशीनरी (भूमि को छोड़कर) में निवेश 05 करोड़ रुपये से अधिक हो, तथा (ii) कम से कम 50 मूल कर्मी (सहायक कर्मी जैसे चालक, गार्ड इत्यादि को छोड़कर) का नियोजन हो।</p> <p>खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के लिए; ऐसी ईकाई जिसमें (i) अचल संपत्ति तथा प्लांट एवं मशीनरी (भूमि को छोड़कर) में निवेश 05 करोड़ रुपये से अधिक हो।</p>
प्राथमिकता	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में यथा परिभाषित।
गैर प्राथमिकता	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में यथा परिभाषित।

2.2 आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवायें और ई.एस.डी.एम. सेक्टर में उच्च प्राथमिकता :

ऐसे समय में जब भारत अपना बाजार खोलने, नियामक बाधाओं को कम करने तथा विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आई.टी., आई.टी. आधारित सेवायें तथा ई.एस.डी.एम. सेक्टर में अधिक सीधा विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु परिवर्तनकारी अभियान विकसित करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, कठिन प्रयास कर रहा है, बिहार सरकार लक्षित पहल के माध्यम से देश के एक बड़े आई.टी., आई.टी. आधारित सेवायें तथा ई.एस.डी.एम. हब के रूप में राज्य को विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार का राज्य में इस सेक्टर को विकसित करने के लिए विजन निम्नलिखित के इर्द-गिर्द है:

- (क) राज्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संवर्द्धन को प्रेरित करना,
- (ख) शहरी और ग्रामीण बिहार के बीच डिजिटल विभाजन को पाटना,
- (ग) आई.टी./आई.टी. आधारित सेवाओं एवं सम्बद्ध उद्योगों के लिए अगले निवेश लक्ष्य के रूप में बिहार को विकसित करना,
- (घ) राज्य में प्रौद्योगिकी समर्थित सुधारों के साथ अच्छे प्रशासन को लागू करना।

विभिन्न नागरिक केन्द्रीकृत प्रशासन पहलों के क्रियान्वयन तथा स्टेट ऑफ दी आर्ट आई.टी. के आधारभूत संरचना यथा—आई.टी. सिटी, आई.टी. टावर तथा आई.टी. पार्क स्थापित करने हेतु योजना की तैयारी के साथ आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवाएं तथा ई.एस.डी.एम. के विकास पर राज्य पहले ही पहल कर चुका है। इनके अतिरिक्त बिहार राज्य में उद्योग समर्थित विकास को प्रोन्नत करने हेतु मूल सुधार तथा रणनीतिक प्रोत्साहन, जो राज्य को इस सेक्टर में विकास योजना को गतिशील करने में राज्य की सहायता करेगा, के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में भी है।

आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवाएं तथा ई.एस.डी.एम. में सामरिक पहल नीचे सूचीबद्ध प्रक्षेत्र के मूल निवेश अवसर की ओर लक्षित है:

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
आई.टी. तथा आई.टी. समर्थित सेवाएँ (आई.टी.ई.एस.)	<ul style="list-style-type: none"> आई.टी. उत्पाद, साफ्टवेयर तथा सेवाएँ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (के.पी.ओ.) कॉल सेन्टर साफ्टवेयर विकास सेन्टर डिजिटल कंटेन्ट विकास स्मार्ट टेक्नॉलॉजीज इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) डाटा सेन्टर्स बिग डाटा एण्ड एनालिटिक्स पी.सी. गेमिंग, कॉन्सोल गेमिंग, ऑनलाइन/मल्टी प्लेयर गेमिंग, मोबाईल गेमिंग, विडियो गेम्स कॉमिक्स एण्ड ऐनिमेटेड कार्टून सिरीज, फूली एनिमेटेड फीचर फिल्मस् दृश्य प्रभाव अथवा भी.एफ.एक्स वेब डिजाईनिंग ई. लर्निंग और ई.—एजुकेशन
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.)	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्यूटर पेरिफेरल्स एण्ड अदर ऑफिस इक्यूपमेन्ट्स चिप विनिर्माण एवं डिजाइन सेमि कन्डक्टर्स सर्वर एण्ड स्टोरेज डिजाइन कम्यूनिकेशन एण्ड नेटवर्किंग डिवाइसेज ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
	<ul style="list-style-type: none"> स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड डिवाइसेज इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएँ सोलर फोटो वोल्टाईक, थिन फिल्म पोलिसिलिकन सेल्स सहित इलेक्ट्रॉनिक कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स एल.ई.डी. इम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

नोट : इस नीति के अंतर्गत स्टेज-1 की स्वीकृति के पूर्व सिग्नल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी। इकाईयों एवं उद्यमों की उपर्युक्त सूची केवल सांकेतिक है और राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अधीन सूची का, समय-समय पर उपयुक्त रूप से पुनरीक्षण कर सकेगी।

2.3 खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में उच्च प्राथमिकता :

निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अन्तर्गत इस नीति के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा:

सेक्टर	निवेश के अवसर
मकई प्रसंस्करण	(क) मकई आधारित फीड इकाई (कैटल फीड, फिश मिल, पॉल्ट्री फीड) (ख) मकई आधारित खाद्य उत्पाद (ग) स्टार्च विनिर्माण इकाई तथा मकई से संबंधित अन्य उत्पाद (प्राथमिक प्रसंस्करण यथा- ग्रेडिंग, सॉर्टिंग इत्यादि को छोड़कर)
फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	(क) सभी प्रकार की फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाई (डिहाईड्रेटेड एवं फ्रोजेन फल एवं सब्जी के लिए आई.क्यू.एफ./ब्लास्ट फ्रीजर/स्पाइरल फ्रीजर इत्यादि का उपयोग करते हुए विनिर्माण हेतु इकाई सहित); (ख) प्याज, मशरूम इत्यादि जैसी सब्जियों का डिहाईड्रेशन और पाउडरिंग; (ग) लीची प्रसंस्करण के लिए इकाई (लीची पल्प, जूस पल्प, जैम, जेली, विवरेज, नेक्टर, कैंडिज, पाउडर इत्यादि के लिए उत्पादनार्थ इकाई) (घ) पल्प, पल्प स्लैब, जैम, जेली, विवरेज, नेक्टर, कैंडिज, पाउडर इत्यादि में आमों के स्थानीय किस्म (बिहार के किस्म) प्रसंस्करण के

सेक्टर	निवेश के अवसर
	<p>लिए इकाई; (अन्य राज्यों एवं देशों से आयातित मैन्गो पल्प का उपयोग करने वाली इकाईयां प्राथमिक प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विचारणीय नहीं होंगी)</p> <p>(ड) केला प्रसंस्करण के लिए इकाई उदाहरणार्थ—केला (बनाना) चिप्स, पल्प, पाउडर, बेबी फूड, जैम, जेली, केला फूल सब्जी, केला थम (ट्रंक) सब्जियाँ एवं अचार आदि;</p> <p>(च) मखाना प्रसंस्करण इकाई (उदाहरणार्थ—मखाना पॉप उत्पाद, फलेवर तथा रोस्टेड मखाना स्नैक, आर.टी.सी. खीर, बेबी फूड इत्यादि तैयार करने के लिए इकाई;</p> <p>(छ) प्राकृतिक मधु प्रसंस्करण;</p> <p>(ज) बिहार में उत्पादित मसाले एवं जड़ी-बूटियों का प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन।</p> <p>नोट : कृषि उत्पादों में पर्याप्त मूल्यवर्द्धन होना चाहिए। वैसी इकाईयों पर जो केवल वाशिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, क्लिनिंग, ग्राइडिंग तथा पैकेजिंग जैसी क्रियाकलाप करती हैं, इस सेक्टर के अधीन विचार नहीं किया जाएगा। तदनुसार सभी ऐसी इकाईयों को एकीकृत प्रसंस्करण/मूल्यवर्द्धन तथा पैकेजिंग सुविधा यथा कैंनिंग/टिनिंग, बल्क पैकेजिंग, कोडिंग तथा लेबलिंग इत्यादि, भी रखनी चाहिए।</p>
<p>पॉल्ट्री तथा फिश प्रसंस्करण</p>	<p>(क) पॉल्ट्री तथा फिश प्रसंस्करण इकाई (उदाहरणार्थ— मानव उपभोग के लिए उपयुक्त फ्रेश, चिल्ड तथा फ्रोजेन फिश, फिश फिलेट्स तथा पिसेज, फिश क्यूर्ड अथवा स्मोक्ड फिस मील, खाद्य योग्य पोल्ट्री ऑफल, सूखे अंडे, इत्यादि)।</p> <p>नोट: ऐसी इकाईयों के लिए अंतिम उत्पाद उपभोग/विक्रय के लिए खुदरा बाजार अथवा थोक विक्रय के लिए तैयार रहना चाहिए। इकाई द्वारा विनिर्माण उत्पाद, जो मध्यवर्ती प्रकृति के हैं, इस कोटि में स्थान प्राप्त नहीं करेंगे। तदनुसार सभी ऐसी इकाईयों को कैंनिंग/टिनिंग, कोडिंग तथा लेबलिंग जैसी एकीकृत पैकेजिंग सुविधाएँ रखनी चाहिए।</p>

नोट :

- (क) इकाईयों द्वारा प्रयुक्त कृषि कच्चे मालों का उत्पादन प्राथमिक रूप से बिहार में किया जाना चाहिए।
- (ख) शुद्ध रूप से वॉशिंग, सॉर्टिंग, क्लिनिंग तथा पैकेजिंग में लगी इकाईयां, जो कोई तात्विक मूल्यवर्द्धन नहीं करती हैं, उन पर उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।

- (ग) बाहर के राज्यों अथवा देशों से आयातित खाद्य सामग्रियों के पैकेजिंग/रिपैकेजिंग के प्रयोजनार्थ स्थापित इकाईयाँ/उद्यमों पर उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।
- (घ) यदि कोई इकाई/उद्यम कैप्टिव उपयोग के प्रयोजनार्थ किसी एकीकृत रीति से दो या अधिक प्रकार की सुविधाएँ स्थापित करती हैं तो उसे सिंगल प्रोजेक्ट माना जाएगा और सुविधाओं को संयुक्त खर्च पर अनुदान गणना के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा। प्राथमिकता अथवा अप्राथमिकता में इकाईयों एवं उद्यमों का वर्गीकरण मुख्य/मदर अथवा कोर सुविधा की प्रकृति के अनुसार किया जाएगा।
- (ङ) यदि कोई इकाई गैर प्राथमिकता प्रक्षेत्र से प्राथमिकता प्रक्षेत्र अथवा प्राथमिकता प्रक्षेत्र से उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में क्षमता विस्तार के माध्यम से अथवा और सुविधावर्द्धन द्वारा आब्रजन करती है, तो उस भाग के लिए, जो उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अधीन आता है, उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अनुसार प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त करेंगी।
- (च) मानव/पशु उपभोग के लिए उपयुक्त किसी खाद्य सामग्री के निर्माण के लिए इकाई को जिसमें कोई फल एवं सब्जी अथवा कोई प्रसंस्कृत/परिरक्षित सामग्री (जैसे-पल्प कंसन्ट्रेट, एक्सट्रैक्ट आदि) शामिल न हो और फल एवं सब्जी से इसके मुख्य तत्व बनी न हो, गैर प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अधीन विचार किया जाएगा।
- (छ) इकाईयों एवं उद्यमों की उपर्युक्त सूची केवल सूचक है और राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अधीन सूची को, समय-समय पर, उपयुक्त रूप से पुनरीक्षित कर सकेगी।

2.4 टेक्सटाईल, अपैरेल एवं चमड़ा सेक्टर में उच्च प्राथमिकता सेक्टर:

राज्य सरकार द्वारा टेक्सटाईल, अपैरेल एवं लेदर प्रक्षेत्र में निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की पहचान की गई सूची निम्नवत है:

सेक्टर	निवेश के अवसर
वीभिंंग / नीटिंग / स्टीचींग	(क) पावरलूम और नीटिंग; (ख) रेडिमेड गारमेन्ट्स का उत्पादन;
अपैरेल तथा होम टेक्सटाईल का उत्पादन	(क) वुभेन एण्ड नीटेड अपैरेल विनिर्माण (ख) होजियरी उत्पाद विनिर्माण (ग) कारपेट एवं अन्य होम टेक्सटाईल;
केला फाइबर / जूट फाइबर	(क) केला फाइबर प्रसंस्करण तथा केला फाइबर का उपयोग करते हुए उत्पादों जैसे वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए एकीकृत इकाईयाँ, (ख) जूट फाइबर्स प्रसंस्करण तथा जूट फाइबर्स का उपयोग करते हुए वस्त्र एवं अन्य सामग्रियों के विनिर्माण के लिए एकीकृत इकाईयाँ;

सेक्टर	निवेश के अवसर
चमड़ा तथा कृत्रिम चमड़ा तथा चमड़ा प्रतिस्थानी वस्तुएँ	(क) गारमेन्ट /जूता /स्लिपर /फूटवियर का विनिर्माण; (ख) शोफासाजी फर्निचर, ऑटोमोबाइल (कार आदि) के लिए शोफासाजी का विनिर्माण। (ग) चमड़ा-माल (उदाहरणार्थ-लेबल, टैग, बेल्ट, बैग, पर्स, दस्ताना तथा अन्य साज सज्जा के समान तथा फैशन की वस्तुएँ;)

नोट :

- (क) ऐसी इकाईयों के लिए अंतिम उत्पाद खुदरा बाजार में उपयोग / बिक्री की हद तक तैयार रहनी चाहिए। ऐसी उत्पाद करने वाली इकाईयों जो मध्यवर्ती प्रकृति की हैं, इस कोटि के अधीन अर्हता प्राप्त नहीं होगी। तदनुसार सभी ऐसी इकाईयों को भी कोडिंग तथा लेबलिंग इत्यादि सहित एकीकृत पैकेजिंग सुविधाएँ होनी चाहिए।
- (ख) इकाईयों एवं उद्यमों की उपर्युक्त सूची केवल सांकेतिक हैं और राज्य सरकार समय-समय पर उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अधीन सूची उपयुक्त रूप से पुनरीक्षित कर सकेगी।

3. प्रोत्साहन पैकेज :

राज्य सरकार उद्यमियों के लिए एक उद्यम मित्रवत् शासन प्रणाली के आश्वासन तथा आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज द्वारा औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए कटिबद्ध है। औद्योगिक इकाईयों की उच्च प्राथमिकता कोटि में निम्नलिखित प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध होंगे:

3.1 उत्पादन पूर्व प्रोत्साहन

कंडिका	प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
3.1.1	स्टाम्प शुल्क / पंजीकरण शुल्क में छूट	(क) आई.डी.ए./बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा। (ख) औद्योगिक भूमि / शेड की लीज / बिक्री / अंतरण पर उद्गृहित स्टाम्प शुल्क / रजिस्ट्रीकरण फीस पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार के बाहर की नई इकाईयों को भी यह सुविधा दी जाएगी। यह छूट केवल पहली बार दी जाएगी और लीज / बिक्री / अंतरण के पश्चात्वर्ती चरणों में यह लागू नहीं होगी। नई इकाईयों को ही यह सुविधा देय होगी।

कंडिका	प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
		(ग) इकाई द्वारा अपेक्षित भूमि के क्षेत्र का पूर्ण विवरण डी.पी.आर. और इकाई को टर्म लोन देने वाली बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार बैंक अपरेजल प्रतिवेदन में उल्लेखित होगा।
3.1.2	भूमि संपरिवर्तन फीस	कृषि भूमि के संपरिवर्तन के लिए उदगृहीत होने वाली भूमि संपरिवर्तन फीस/भूमि उपयोग में परिवर्तन फीस की 100 प्रतिशत छूट।

3.2 उत्पादन पश्चात प्रोत्साहन

कंडिका	प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
3.2.1	ब्याज आर्थिक सहायता	<p>(क) राज्य बैंक/आर.बी.आई. अथवा सेवी से रजिस्ट्रीकृत संस्था से इकाई द्वारा प्राप्त टर्म लोन पर पात्र इकाईयों को आर्थिक सहायता देगी।</p> <p>(ख) ब्याज आर्थिक सहायता के लिए ब्याज दर 10 प्रतिशत अथवा टर्म लोन पर ब्याज की वास्तविक दर, जो भी कम हो, होगी।</p> <p>(ग) उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए इस आर्थिक सहायता की कुल सीमा अनुमोदित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगी। इस आर्थिक सहायता की ऊपरी सीमा बीस करोड़ रुपये होगी।</p> <p>(घ) आर्थिक सहायता राशि का व्ययन संबंधित बैंक/इकाई को टर्मलोन देने वाली वित्तीय संस्था द्वारा नियत टर्मलोन पुनर्भुगतान अनुसूची से जुड़ी किस्तों में होगी। इकाई में किसी भी रूप में प्रोत्साहक के अंशदान पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(ड.) यदि प्रोत्साहक इकाई के लिए कोई टर्मलोन नहीं प्राप्त करते हैं तो वे इस प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।</p>

कंडिका	प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
3.2.2	कर संबंधी प्रोत्साहन	<p>(क) सभी नई इकाईयाँ, वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार (पूर्ण रूप से व्यापार के कारोबार करने से उत्पन्न उनके द्वारा देय किसी कर को छोड़कर) के खाते में जमा स्वीकृत SGST के विरुद्ध 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होंगी।</p> <p>SGST प्रतिपूर्ति आउटपुट कर दायित्व के विरुद्ध इनपुट कर साख समायोजन के बाद केवल नेट भुगतये कर पर लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा अनुमोदित परियोजना लागत का 100 प्रतिशत तक होगी।</p>
3.2.3	नियोजन खर्च सहायता	<p>(क) IT तथा ITES सेक्टर, ESDM, लेदर एण्ड टेक्सटाईल सेक्टर तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए, पुरुष कर्मकार की दशा में उन नई इकाईयों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए ESI तथा EPF स्कीम में अंशदान संबंधी खर्च का 50 प्रतिशत तथा महिला कर्मकार की दशा में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति जैसे कर्मियों के लिए जो बिहार के निवासी है पुरुष कर्मियों के लिए अधिकतम 500 रु0 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कर्मियों के लिए अधिकतम 1000 रु0 प्रति माह तक।</p>
3.2.4	कौशल विकास सहायता	<p>(क) राज्य सरकार प्रतिकर्मी 20,000/- रु0 अथवा बिहार कौशल विकास मिशन की दर, जो भी कम हो, से कौशल विकास अनुदान उपलब्ध करायेगी। यह जैसे कर्मियों/स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए लागू होगा जो बिहार के निवासी हों।</p> <p>(ख) सभी पात्र इकाईयों को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षित कोर कर्मी/स्टाफ को नियोजित करना होगा।</p>

3.3 राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की इकाईयों को PMU समर्थन भी देगी। राज्य सरकार निवेशक सरलीकरण के लिए एक निवेशक सरलीकरण सेल-सह-प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई (PMU) स्थापित करेगी। IT, ITeS तथा ESDM सेक्टर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा सेल स्थापित किया जाएगा जबकि अन्य दो सेक्टर के लिए यह उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। सेल/ PMU नीचे उल्लिखित क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होंगे:

- (i) निवेश प्रस्ताव के सरलीकरण तथा राज्य में अपनी इकाईयों को स्थापित करने में उद्यमियों एवं निवेशकों की मदद करना;
- (ii) निवेशकों की पृच्छाओं का पूछताछ निवारण, शिकायत निवारण तथा कानूनी बाध्यताओं की संपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने में उद्यमियों को "हैन्ड होल्डिंग" सहायता प्रदान करना;
- (iii) उद्योगों की संभावनाओं, निवेश योग्य प्रोजेक्ट के विवरण तथा ईकाई आदि को स्थापित करने के लिए कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने संबंधी सूचना मास मिडिया के माध्यम से प्रसार करना;
- (iv) उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु किसी मेले, प्रदर्शनी, समारोह अथवा कैम्पेन को संगठित, संपोषित, संबद्ध करना अथवा उसमें भाग लेना;
- (v) स्थापित इकाईयों, नियोजित व्यक्तियों की संख्या की गई निवेश राशि तथा उत्पादन के मूल्य के रूप में सेक्टरों में राज्य की उपलब्धि का पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करना;
- (vi) राज्य में निवेशक संबंध बनाए रखने के लिए समर्पित संबद्ध अधिकारियों को नियुक्त करना।

4. सामान्य शर्तें:


उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का अखंड भाग होगी। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में उल्लिखित सभी प्रावधान तथा निर्वहन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

इस नीति के अधीन प्रोत्साहन पाने के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तें लागू होंगी:

- (i) केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ प्रोत्साहनों का Dovetailing अनुमान्य होगा।
- (ii) इस नीति के अधीन वैसी इकाईयाँ जो इस नीति का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं, राज्य की किसी अन्य नीति के अधीन उसी परिसम्पत्ति के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।

- (iii) राज्य सरकार अथवा इसकी कोई अन्डरटेकिंग तथा एजेन्सी की परियोजना के लिए पहचान किए गए कर्मियों पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ इस नीति के अधीन इकाई की नियोजन गणना के लिए विचार नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी द्वारा सरकार की किसी परियोजना के कार्यान्वयन में कर्मियों को नियोजित किया जाता है तो ऐसे नियोजित कर्मियों के लिए प्रोत्साहन अनुमान्य नहीं होंगे। प्रोत्साहन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ कर्मियों की गणना में किसी द्विरावृत्ति करने पर धारा 4 (v) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार दण्ड के भागी होंगे। सरकार अथवा इसकी कोई अन्डरटेकिंग अथवा एजेन्सी से संबंधित किसी परियोजना के लिए कर संबंधी प्रोत्साहन अनुमान्य नहीं होंगे।
- (iv) इस नीति के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाईयों को क्लियरेंस के प्रथम चरण के 3 (Three) वर्षों के भीतर अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा। इकाईयों के प्रोत्साहन के भुगतान की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन में होना होगा। आगे, इकाई को इस नीति के अधीन इसके लिए पात्र सभी प्रोत्साहन के अंतिम भुगतान की तिथि से कम से कम अगले 5 वर्षों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन में बना रहना होगा।
- (v) प्रोत्साहन प्राप्ति के प्रयोजनार्थ यदि कोई मिथ्या घोषणा पत्र दिया जाता है अथवा प्रोत्साहन यदि उस इकाई के लिए प्राप्त किया जाता है जो पात्र नहीं थी अथवा इस नीति की शर्तों में से किसी के उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन की राशि के साथ 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के साथ—साथ उस प्रोत्साहन प्राप्ति की तिथि से वसूल किया जायेगा। समय सीमा के भीतर भुगतान न होने की दशा में, राज्य सरकार भू-राजस्व के बकाए के रूप में ब्याज सहित वह राशि वसूल कर सकेगी।
- (vi) इस नीति के प्रयोजनार्थ:
- (क) “कर्मि” से अभिप्रेत है जैसे कर्मि जो कंपनी के नियमित रोल पर हों। दैनिक मजदूरी कर्मि अथवा मौसमी कर्मि इस रियायत के हकदार नहीं होंगे। कर्मि बल की गणना परियोजना के कोर क्रिया कलापों में लगे कर्मियों के आधार पर की जाएगी। प्रोत्साहन के लिए दावे के समर्थन के रूप में कंपनी के कानूनी वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा। कोर क्रिया—कलाप की परिभाषा ऐसे क्रिया—कलाप के रूप में होगी जो उत्पादन प्रक्रिया का अंग हो। समर्थक कर्मि की गणना कर्मि बल में नहीं की जाएगी।
- (ख) ‘बिहार राज्य का निवासी’ से अभिप्रेत वह व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, बिहार के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जा चुका हो और जो सक्षम प्राधिकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्गत प्रमाण पत्र धारित करता हो।
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 इस हद तक संशोधित होगी। नीति में ये संशोधन इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की प्रभावी अवधि तक बने रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


27/12/2017

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 1937 /पटना, दिनांक: 27.12.2017

सं.सं.: 4तक./ नीति संशोधन / 181 / 2017

प्रतिलिपि: राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 1000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।


27/12/2017

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 1937 /पटना, दिनांक: 27.12.2017

सं.सं.: 4तक./ नीति संशोधन / 181 / 2017

प्रतिलिपि: सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग निदेशालय/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास निगम, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई.टी. प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


27/12/2017

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।